न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 78/2016

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
1 सोहनसिंह पुत्र लुम्बसिंह जाति रावत निवासी कलालीया तहसील रायपुर		1 सरपंच ग्राम पंचायत कलालीया 2 खीमसिंह पुत्र भेरूसिंह जाति रावत निवासी बाडिया नाडी कलालीया तहसील रायपुर

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थित :–

1. श्री भागीरथ तेली, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री हरजीराम, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2

–: निर्णय :–

दिनांक : 6/7/2017

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, कलालीया द्वारा मिसल संख्या 1/2008, संकल्प संख्या 3 दिनांक 05.01.2009 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 005906 दिनांक 05.01.2009 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। ग्राम पंचायत कलालीया द्वारा दिनांक 27.02.2017 को रेकर्ड प्रस्तुत किया। उभयपक्ष अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम कलालीया में वाडिया नाडी में प्रार्थी का पुश्तैनी कब्जा सुदा, मालिकाना हक अधिकार का प्लोट व मकान आया हुआ स्थित है, जिसके पूर्व में कानावास जाने का आम रास्ता, पश्चिम में पन्नासिंह का मकान, उत्तर में कलालीया से 16 मील जाने वाली सडक एवं दक्षिण में उदयसिंह का मकान स्थित है। प्रार्थी अपनी नौकरी के कारण दिवेर में निवास करता है। इसकी जानकारी अप्रार्थी संख्या 2 को बखूबी है। इसी का नाजायज लाभ प्राप्त करने की नियत से अप्रार्थी संख्या 2 ने अप्रार्थी संख्या 1 के साथ मिलावट करते हुए बिना किसी हक अधिकार के कूटरचना करते हुए अपना पुश्तैनी प्लोट बताकर प्रार्थी के मकान एवं प्लोट का पट्टा अपने नाम से जारी करवा दिया। प्रार्थी को इसकी जानकारी हुई, तो प्रार्थी ने दिनांक 10.12.2009 को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी, 167 एवं 409 में अप्रार्थी के विरूद्ध प्रकरण दर्ज करवाया, जिसमें बाद अनुसंधान पुलिस ने अन्तिम प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया, तब प्रार्थी ने विरोध याचिका प्रस्तुत की, जिस पर विवादित स्थल पर प्रार्थी का कब्जा होने के आधार पर दिनांक 31.05.2010 को बेचानकर्ता पुनमसिंह के विरूद्ध धारा 420, 467, 468, 471 भारतीय दण्ड संहिता में प्रसंज्ञान लेकर मुलजिम को जरिये गिरफ्तारी वारण्ट के तलब किया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि माननीय न्यायालय ने भी उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा माना है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के स्थान पर अप्रार्थी संख्या 2 के नाम जारी पट्टा विधि

अति॰ जिला कलेक्टर, पाली

विरूद्ध एवं शून्य प्रभावी है। पट्टा जारी करने में राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 160 में विहित प्रक्रिया की पालना नही की गई है। अतः जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा विधि विरूद्ध होने से खारिज योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार करावे एवं ग्राम पंचायत कलालीया द्वारा पारित जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को निरस्त करावे।

विद्धान अभिभाषक अप्रार्थी ने लिखित बहस प्रस्तुत की, जिसमें कथन किया कि प्रार्थी ने निगरानी में प्लाट एवं मकान की जो पडौस अंकित की है, वह पडौस अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टे में अंकित पडौस से पूर्णतः भिन्न है। दोनो का परस्पर मिलान नही होता है, जिसके कारण प्रार्थी का यह कथन कि उसके कब्जासुदा पुश्तैनी प्लॉट एवं मकान का पट्टा अप्रार्थी ने कूटरचित बनवाया है, पूर्णतः गलत है। प्रार्थी ने अपने प्लाट एवं मकान का कोई नाप अंकित नही किया है। प्रार्थी ने निगरानी के पैरा संख्या 6 में उल्लेख किया है कि ''न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लेकर पूनमसिंह के विरूद्ध गिरफ्तारी वारण्ट जारी किया गया, जिससे साफ जाहिर होता है कि पट्टे की भूमि पर प्रार्थी का कब्जा है'' पूनमसिंह के विरूद्ध वारण्ट जारी करने करना पट्टे की भूमि पर प्रार्थी के कब्जे का आधार नही है। पटवारी हल्का कलालीया के प्रमाण पत्र दिनांक 21.07.08 के अनुसार खीमसिंह का कब्जा होना बताया है। ग्राम पंचायत ने राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के किस नियम की पालना नही की, प्रार्थी ने अपनी निगरानी में कहीं भी अंकन नही किया गया है। पंचायत द्वारा नियमों की पालना नही करने पर चुनौती का प्रावधान है। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, नक्शा फीस, आवेदन फीस जमा करवाई है, सचिव द्वारा नक्शा तैयार किया गया है, तीन वार्ड पंचों की कमेटी द्वारा मौका निरीक्षण किया गया है, ग्राम पंचायत द्वारा अनंतिम विनिश्चिय किया जाकर आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया है एवं गवाहों के बयान कलमबद्ध किये है, जिसमें अप्रार्थी संख्या 2 का कब्जा साबित होने पर ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपनाई जाकर जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि सम्मत है। जैर निगरानी पट्टा रजिस्टर्ड है तथा रजिस्टर्ड पट्टे को निरस्त करने का अधिकार इस न्यायालय को न होकर सिविल न्यायालय को है। अतः इस आधार पर भी निगरानी चलने योग्य नही है। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपनाई जाकर जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा विधि सम्मत होने के कारण निगरानी खारिज करावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। प्रार्थी ने यह निगरानी ग्राम पंचायत, कलालीया द्वारा मिसल संख्या 1/2008, संकल्प संख्या 3 दिनांक 05.01.2009 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 005906 दिनांक 05.01.2009 के विरूद्ध पेश की है। जैर निगरानी पट्टे की मिसल का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा ग्राम पंचायत कलालीया के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर आबादी भूमि का विक्रय विलेख बनवाने का निवेदन किया। जिस पर सरपंच द्वारा ग्राम सेवक को मिसल कायम करने के आदेश दिये। इसपर दिनांक 07.07.2008 को मिसल कायम की जाकर सचिव को नक्शा तैयार करने के आदेश दिये गये। दिनांक 21.08.2008 को नक्शा पेश होने पर तीन वार्ड पंचो की कमेटी मनोनीत की जाकर वांछित भूमि का मोका निरीक्षण करने के आदेश

अति० जिला कलक्टर, पाली

पारित किये गये। दिनांक 20.09.2008 को पंचो की मौका निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर अन्तरिम विनिश्चय किया जाकर एक माह का आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया। इसके पश्चात दिनांक 20.10.2008 तक किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नही होने पर अप्रार्थी संख्या 2 को अपने कब्जे की ताईद में दो गवाहों के बयान कलमबद्ध कराने के आदेश दिये गये। दिनांक 20.11.2008 को गवाहों के बयान कलमबद्ध किये गये तथा अन्तिम निर्णय हेतु पत्रावली आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। इसके पश्चात दिनांक 05.01.2009 को राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 (1) के तहत 200/– राशि ली जाकर अप्रार्थी संख्या 2 के नाम पट्टा जारी करने के आदेश पारित किये गये।

पत्रावली का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा जो आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया है, वह किस स्थान पर किस व्यक्तियों के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, यह कहीं भी अंकित नही है एवं नोटिस की मूल प्रति पत्रावली के संलग्न है, जो संदेहास्पद है। जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जो पट्टा जारी किया गया है, वह राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 (1) के तहत जारी किया गया है। नियम 157 के तहत पुराने गृहों का विनियमितीकरण के प्रावधान है, (1) जिसमें 50 वर्ष से अधिकार पूर्व के निर्मित मकानों हेतु 100/– रूपये एवं (2) इन नियमों के लागू होने की तिथित को 50 वर्षो के दौरान बने पुराने मकानो हेतु 200/– रूपये जमा कराने के पश्चात पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा। उक्त भूमि खीमसिंह द्वारा पूनमसिंह पुत्र जेठसिंह से क्रय करना जाहिर किया है, जिसकी पुस्टि मिसल के साथ नत्थी शपथ पत्र से होती है। जिसमें उक्त भूखण्ड को बाडे की संज्ञा प्रदान की गई है। जिस इकरारनामा से बेचान किया गया है, वह इकरारनामा दिनांक 21.08.2008 को 100/– के स्टाम्प पर निष्पादित किया गया है, जो नोटेरी पब्लिक से तस्दीकसुदा है। मिसल के संलग्न पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 21.07.2008 को प्रमाण पत्र जारी किया गया है, जिसमें प्रश्नगत भूमि पर अप्रार्थी संख्या 2 का प्लॉट होना जाहिर किया है। उक्त दोनो तथ्य विरोधाभाषी है, क्योंकि जब दिनांक 21.08.2008 को पूनमसिंह द्वारा खीमसिंह को बेचान किया गया है, तो इससे एक माह पूर्व ही अप्रार्थी संख्या 2 का कब्जा इस भूमि पर किस प्रकार हो सकता है। यदि पूर्व से ही इस भूमि पर खीमसिंह का कब्जा था, तो पूनमसिंह ने बेचान किस भूमि का किया ? उक्त तथ्य संदेहास्पद है। इस भूखण्ड को लेकर सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग बर में प्रकरण दायर किया गया, जिसमें न्यायालय की आदेशिका दिनांक 31.05.2010 को प्रसंज्ञान लिया जाकर पूनमसिंह द्वारा बेचान किये गये भूखण्ड पर सोहनसिंह का कब्जा व स्वामित्व माना है तथा पूनमसिंह को गिरफ्तारी वारण्ट से तलब करने के आदेश पारित किये गये। इससे यह प्रमाणित होता है कि उक्त भूखण्ड पर कब्जा एवं स्वामित्व प्रार्थी सोहनसिंह का माना है। इसके अतिरिक्त जैर निगरानी पट्टा नियम 157 (1) के तहत जारी किया गया है, जबकि नियम 157 के तहत पुराने गृहो के विनियमितिकरण के प्रावधान है, जबकि प्रश्नगत भूमि पर किसी प्रकार का पुराना गृह निर्मित ही नही था, तो अप्रार्थी संख्या 2 इस नियम के तहत पट्टा प्राप्त करने का अधिकारी ही नही था। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में पारित जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा को विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

अति० जिला कलेक्टर, पाली

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, कलालीया द्वारा मिसल संख्या 1/2008, संकल्प संख्या 3 दिनांक 05.01.2009 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 005906 दिनांक 05.01.2009 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण ग्राम पंचायत कलालीया को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण की समुचित जांच कर राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 160 में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत कार्यवाही करें। इस निर्णय की प्रतिलिपी के साथ ग्राम पंचायत का रेकर्ड लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 6/7/2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली